न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

निगरानी / एल.आर. / 10268 / 2002 / अलवर

शिब्बा पुत्र नत्थू, जाति मीणा, निवासी ग्राम हरसाना, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।

....**निगरानीकर्ता**

बनाम

1. गिर्राजप्रसाद पुत्र श्री रामगोपाल, जाति मीणा
2. जीवन पुत्र नत्थू, जाति मीणा

निवासीयान ग्राम हरसाना, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर

.....**रेस्पोन्डेन्टस**

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थिति–
श्री रोहित कुमार सोनी, अभिभाषक निगरानीकर्ता
श्री अजीत सिंह राठौड, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट नं 1.

निर्णय **दिनांक : 1.05.2019**

1. यह निगरानी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपील संख्या 33/01 में दिनांक 5.02.2002 को पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है।

2. निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरसाना, तहसील लक्षमणगढ़ जिला अलवर में अवस्थित भूमि गत खसरा नं 90 (नया खसरा नं 100) रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा का नियमन उप जिला अधिकारी राजगढ़ ने दिनांक 23.09.1974 को निगरानीकर्ता शीबा के पक्ष में करके दिनांक 5.03.1976 को खातेदारी सनद जारी की थी। तत्पश्चात नामान्तरकण संख्या 307 दिनांक 30.09.1977 को ग्राम पंचायत हरसाना ने निगरानीकर्ता शीबा के पक्ष में स्वीकृत किया था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 गिर्राज प्रसाद ने यह कहते हुए कि उसे दिनांक 30.09.1977 के नामान्तरकरण के आदेश की जानकारी

दिनांक 27.08.1999 को हुई है, एक अपील 22 वर्षो बाद उप–जिला अधिकारी लक्षमणगढ़ के न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत की कि उसका उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा है। उप–जिला अधिकारी लक्षमणगढ़ ने आदेश दिनांक 1.03.2001 के द्वारा वह अपील यह कहते हुए स्वीकार कर ली कि ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तसदीक करने का अधिकार नहीं था तथा प्रकरण तहसीलदार लक्षमणगढ़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया कि वह दोनो पक्षो को सुनकर नामान्तरकण के सम्बन्ध में विधिनुसार नए सिरे से आदेश पारित करे। निगरानीकर्ता ने दिनांक 1.03.2001 के आदेश को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में द्वितीय अपील के मार्फत चुनौती दी थी, जिसे दिनांक 5.02.2002 को खारिज कर दिया गया। अतः मौजूदा निगरानी पेश की गई है।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की दलील हैं कि इस भूमि में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कोई हक निहित नहीं है फिर भी उसने उक्त भूमि का नियमन निगरानीकर्ता के पक्ष में होने एवं उसे खातेदारी सनद मिलने के 22–23 वर्षो बाद अत्यधिक विलम्ब के साथ प्रथम अपील पेश की थी। अपील को देरी से माफ करने का कोई समुचित कारण रिकार्ड पर नहीं था इसलिए मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य थी फिर भी अपीलीय न्यायालय ने अवैधानिक रूप से देरी को माफ कर दिया था। द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को बिना मस्तिष्क का उपयोग किए ज्यों का त्यों बहाल रखा है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 21.06.1974 का गलत विवेचन करते हुए नामान्तरकरण को अपास्त किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट नं 1 ने भूमि निगरानीकर्ता को नियमित करने के आदेश को चुनौती नहीं दी थी इसलिए केवल मात्र नामान्तरकण स्वीकृत करने के आदेश को चुनौती देकर रेस्पोडेन्ट नं 1 ने यह मान लिया कि निगरानीकर्ता के पक्ष में

आवंटन सही हुआ है। इस प्रकार दिनांक 23.09.1974 का नियमन अन्तिमता को प्राप्त कर चुका है। इसलिए दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने तहसीलदार लक्षमणगढ को प्रकरण रिमाण्ड करके विधिक त्रुटि की है। अतः निवेदन किया है कि निगरानी को स्वीकार करके नामान्तरकण को बहाल रखा जाए।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त दलीलो का विरोध किया है तथा दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया है।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. यह सही है कि नामान्तरकरण तसदीक होने के 22 वर्षो बाद प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट नं 1 ने पेश की थी किन्तु इस देरी का आधार यह बताया गया था कि रेस्पोडेन्ट नं 1 को पूर्व में उस आदेश की जानकारी नहीं थी एवं जब पता चला तो अपील पेश कर दी। यह स्वीकृत बात है कि नामान्तरकरण तसदीक करने की जब प्रक्रिया हुई तब रेस्पोडेन्ट नं 1 मौजूद नहीं था। इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यो को देखते हुए अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कर दिया था। विधिक स्थिति भी यही है कि यदि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का संतोषजनक कारण प्रस्तुत कर दिया जाए तो फिर वह देरी कितने दिनो या वर्षो की थी, इसका कोई महत्व नही रह जाता है। मौजूदा केस में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने में अपने विवेक का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया था तथा द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय न्यायालय की फाइंडिगस की पुष्टि की हैं। इसलिए मेरी विनम्र राय में प्रथम अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करके किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की गई थी।

8. दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 21.06.1974 का अवलम्ब लेकर यह निष्कर्ष निकाले है कि प्रश्नगत

नामान्तरकण को स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को ना होकर तहसीलदार को था। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के इन निष्कर्षो में न तो अवैधानिकता है और न ही किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि हैं। जो एतराजात निरानीकर्ता की ओर से इस निगरानी के गुणावगुण पर उठाये गए है यथा कि रेस्पोन्डेन्ट नं 1 ने नियमन आदेश को चुनौती दिए बगैर केवल नामान्तरकण को चुनौती दी है आदि ऐसे एतराज है जो कि निगरानीकर्ता सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय अर्थात तहसीलदार लक्षमणगढ के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकेगा तथा विचारण न्यायालय सभी एतराजात को दोनो पक्षो को सुनकर विधिसम्मत तरीके से निस्तारित कर सकेगा।

9. लिहाजा यह निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य